न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस.)

मु.न. 81...../2024

1. अमरसिंह पुत्र बेगाराम जाति जांगिड निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. प्रभुदयाल पुत्र बेगाराम जाति जांगिड निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू।
3. महावीर पुत्र बेगाराम जाति जांगिड निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरू।

— प्रार्थीगण —

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर। — अप्रार्थी —

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय दिनांक 15/07/24

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की माता के नाम कृषि भूमि रोही मौजा महेन्द्रवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 251/220 तादादी 2.6807 हेक्ट., खसरा सं. 252/220 तादादी 5.3109 हैक्ट. कुल तादादी 7.9916 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थीगण की माता का नाम सम्पत पत्नी बेगाराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थीगण की माता का नाम सुमन पत्नी बेगाराम नाम सही हैं। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थीगण की माता का नाम सुमन पत्नी बेगाराम है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थीगण को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में अपनी माता का नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। जमाबन्दी में अपनी माता का नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही महेन्द्रवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 251/220 तादादी 2.6807 हेक्ट., खसरा सं. 252/220 तादादी 5.3109 हैक्ट. कुल तादादी 7.9916 हैक्ट. में प्राथीगण की माता सुमन पत्नी बेगाराम का स्वर्गवास हो गया है उक्त भूमि के प्रार्थीगण की माता भी 1/4 हिस्से की सहखातेदार है। राजस्व रिकॉर्ड मे मृतक सुमन पत्नी बेगाराम का नाम भी गलत दर्ज है जो सम्पत पत्नी बेगाराम अंकित है। अन्य दस्तावेज आधारकार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण आदि पत्र में सही नाम सुमन पत्नी बेगाराम दर्ज है। अतः प्रार्थीगण की माता का नाम सुमन पत्नी बेगाराम दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र में आई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तारानगर के अनुसार प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपनी माता का नाम दुरूस्त करवाने चाहते है। अब प्रार्थीगण की माता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीगण अपनी माता का नाम सम्पत पत्नी बेगाराम की जगह सुमन पत्नी बेगाराम करवाना चाहते हैं। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण अपनी माता का नाम सम्पत पत्नी बेगाराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थीगण अपनी माता का नाम सम्पत पत्नी बेगाराम की जगह सुमन पत्नी बेगाराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, पहचान पत्र से प्रार्थीगण की माता का दस्तावेजीय नाम सुमन पत्नी बेगाराम पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा महेन्द्रवास तहसील तारानगर के खसरा सं. 251/220 तादादी 2.6807 हेक्ट., खसरा सं. 252/220 तादादी 5.3109 हैक्ट. कुल तादादी 7.9916 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थीगण की माता का नाम **सम्पत पत्नी बेगाराम** के स्थान पर **सुमन पत्नी बेगाराम** अंकित किया जाए तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक ....15/07/24.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)